प्रेस नोट
दिनांक 12.06.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा कौव्वापुर मोड के पास वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त कमरुद्दीन उर्फ छैलू पुत्र फकरुद्दीन निवासी ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक11.06.2026 को उ0नि0 सत्य नारायण यादव मय हमराह के साथ कौव्वापुर मोड के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असिधा गांव की तरफ से आ रही मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर वाहन चालक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा घेराबंदी कर मौके पर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम कमरूद्दीन बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. कमरुद्दीन उर्फ छैलू पुत्र फकरुद्दीन निवासी ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस
02. 01 अदद होण्डा साइन सीज।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–137/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सत्यनारायण यादव।
02. का0 पंकज प्रेमी।
03. का0 ऋषिकेश यादव।
04. का0 अजीत निषाद।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.06.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुघर्टना करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 343/2026 धारा 125(ए), 125(बी), 105, 324(4) बीएनएस से संबंधित वांछित 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. मो0 शोएब पुत्र मो0 सगीर, निवासी मोहल्ला कसगरान, कस्बा व थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा, 02. मो0 आबिद पुत्र मो0 सलीम, निवासी सदर बाजार, कस्बा व थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को पावर हाउस के आगे नहर पुलिया, करनैलगंज–चौरी चौराहा हाईवे मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10/11.06.2026 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत गोण्डा–लखनऊ मार्ग पर नरायनपुर मांझा के निकट एक अत्यंत दुःखद सड़क दुर्घटना की घटना प्रकाश में आयी थी। प्राप्त तहरीर के अनुसार प्रारम्भ में एक अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल सवार संजय कुमार तिवारी को टक्कर मार दी गई थी, जिसके उपरान्त स्थानीय लोग एवं राहगीर उनकी सहायता हेतु मौके पर एकत्रित हुए थे। इसी दौरान चार पहिया वाहन पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से तेज एवं लापरवाहीपूर्ण ढंग से वाहन चलाते हुए मौके पर मौजूद व्यक्तियों को टक्कर मार दी गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्नलगंज भेजा गया। उपचार के दौरान गुलशन चौहान, संजय कुमार तिवारी, हसन मोहम्मद तथा मोहम्मद शाकिर उर्फ इम्तियाज को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। गंभीर रूप से घायल अंशुमान को उच्च चिकित्सा केन्द्र रेफर किया गया, जिनकी उपचार हेतु ले जाते समय मृत्यु हो गई। अन्य घायलों का उपचार कराया गया। जिसमें आज दिनांक 12.06.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. मो0 शोएब पुत्र मो0 सगीर, निवासी मोहल्ला कसगरान, कस्बा व थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा, 02. मो0 आबिद पुत्र मो0 सलीम, निवासी सदर बाजार, कस्बा व थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को पावर हाउस के आगे नहर पुलिया, करनैलगंज–चौरी चौराहा हाईवे मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. मो0 शोएब पुत्र मो0 सगीर, निवासी मोहल्ला कसगरान, कस्बा व थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
02. मो0 आबिद पुत्र मो0 सलीम, निवासी सदर बाजार, कस्बा व थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–343/2026 धारा 125(ए), 125(बी), 105, 324(4) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0 निरीक्षक अरविन्द कुमार।
02. हे0का0 सर्वेश कुमार।
03. हे0का0 कमल सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 12.06.2026</u>

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का टुल्लू पम्प बरामद –

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–566/2026 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. शिवकुमार तिवारी पुत्र इन्द्रदेव तिवारी, 02. श्रीचन्द यादव पुत्र छेदी यादव को ग्राम वादीपुरवा में दबिश देकर उनकी निशानदेही से चोरी का टुल्लू पम्प बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.06.2026 को वादी श्री सन्नू पुत्र सूर्यलाल निवासी भयापुरवा करनपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात पुलिस को सूचना दी गई कि दिनांक 07.06.2026 की रात्रि में उनके घर से एक टुल्लू पम्प चोरी हो गया था, जिसे अभियुक्त शिवकुमार तिवारी द्वारा चोरी कर श्रीचन्द यादव को बेच दिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 12.06.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. शिवकुमार तिवारी पुत्र इन्द्रदेव तिवारी, 02. श्रीचन्द यादव पुत्र छेदी यादव को ग्राम वादीपुरवा में दबिश देकर उनकी निशानदेही से चोरी का टुल्लू पम्प बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. शिवकुमार तिवारी पुत्र इन्द्रदेव तिवारी, निवासी वादीपुरवा खरगूपुर थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।
02. श्रीचन्द यादव पुत्र छेदी यादव, निवासी वादीपुरवा खरगूपुर थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–566/2026 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. एक अदद चोरी का टुल्लू पम्प

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 भानू प्रताप मौर्य
02. उ0नि0 विजय शंकर
03. उ0नि0 राजेन्द्र यादव
04. हे0का0 करन यादव
05. हे0का0 शौकत अली
06. का0 दीपनारायण

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.06.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बलवा करते हुए मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–0533/2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 308(5) बीएनएस से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों–01. हेमन्त मिश्रा पुत्र प्रदीप कुमार, 02. हर्ष दुबे पुत्र राहुल दुबे, 03. अंशुमान उर्फ अरनव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादिनी प्रियंका सिंह पत्नी जितेन्द्र सिंह निवासी जानकी नगर निकट भूतहाताल थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 09.06.2026 को रात्रि लगभग 10:00 बजे उनका पुत्र श्रेयांश सिंह रोडवेज बस स्टैण्ड से अपने घर जा रहा था। रास्ते में भगवान होटल के पास विपक्षीगण हेमन्त मिश्रा, हर्ष दूबे, अंशुमान ठाकुर, आदित्य श्रीवास्तव तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे रोककर गाली–गलौज करते हुए लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी। तत्पश्चात विपक्षीगण उसे अपने साथ वन्देमातरम कॉलोनी, जानकी नगर ले गये, जहाँ पुनः मारपीट की गयी जिससे उसे चोटें आयीं। आरोप है कि विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गये। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 12.06.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों–01. हेमन्त मिश्रा पुत्र प्रदीप कुमार, 02. हर्ष दुबे पुत्र राहुल दुबे, 03. अंशुमान उर्फ अरनव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. हेमन्त मिश्रा पुत्र प्रदीप कुमार निवासी कंचनपुर फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा, हाल पता जानकी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. हर्ष दुबे पुत्र राहुल दुबे निवासी जानकी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
03. अंशुमान उर्फ अरनव सिंह पुत्र देवीशरण सिंह निवासी गोगू देवर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच, हाल पता जानकी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–0533/2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 308(5) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 योगेश यादव, चौकी प्रभारी मिश्रौलिया
02. हे0का0 महेश कुमार

03. रि0का0 रामनाथ सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।
प्रेस नोट
दिनांक–12.06.2026

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

जनपद गोण्डा में कानून–व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराधियों, गुण्डों एवं शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 12.06.2026 को थाना मनकापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर घोषित अभियुक्त सुनीश मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्रा निवासी बैरीपुर रामनाथ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा अपने घर पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त जनपद गोण्डा की सीमा में उपस्थित रहने का कोई वैध कारण नहीं बता सका। गिरफ्तार अभियुक्त को श्रीमान जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 16.05.2026 को 06 माह के लिए जनपद से बाहर भेजा गया था। इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा में निवास कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध ''धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970'' के अंतर्गत विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनीश मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्रा निवासी बैरीपुर रामनाथ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 शिवकुमार गिरी
02. हे0का0 सुरेश गुप्ता
03. कां0 दुर्गेश चौधरी
04. रिक्रूट आरक्षी गोविन्द कुमार
05. म0आ0 लक्ष्मी वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।